पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट पैकेज पर संक्षिप्त विवरण

प्रस्तावना

कोविड-19 लॉकडाउन के बीच, डिस्कॉमों को राजस्व वसूलने में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ रहा है। इससे संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। अतः विद्युत क्षेत्र में धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में 90,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट पैकेज की घोषणा की, ताकि डिस्कॉम अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकें। पीएफसी और आरईसी को उक्त के लिए प्रमुख ऋणदाता भागीदार के रूप में आदेशित किया गया है।

पीएफसी हमेशा से ही विद्युत क्षेत्र की पहलों को कार्यान्वित करने में सरकार का कार्यनीतिक भागीदार रहा है और यह इस प्रकार की कई पहलों में से एक है। हमारा मानना है कि सरकार द्वारा यह एक सकारात्मक कदम है क्योंकि यह पूरे विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगा। इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि यह लिक्विडिटी इंफ्यूजन किसी भी व्यावसायिक रुकावट के बिना अपने व्यावसायिक संचालनों को जारी रखने में पीएफसी ऋणकर्ताओं की मदद करता रहेगा।

इस संबंध में, पीएफसी से कार्यान्वयन पहलुओं अर्थात निधियन स्रोत और पीएफसी के ऋण परिचालनों पर प्रभाव संबंधी बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तदनुसार, डिस्कॉमों के लिए पीएफसी की ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं और पीएफसी के व्यवसाय पर क्रेडिट पैकेज के प्रभाव संबंधी विवरण निम्नानुसार दिया है।

डिस्कॉमों के लिए पीएफसी की ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं

1) पीएफसी और आरईसी द्वारा डिस्कॉमों को 90,000 करोड़ रुपए दो ट्रांच में दिया जाएगा अर्थात ट्रांच-I में 50% और ट्रांच-II में शेष। तदनुसार, ट्रांच-I में पीएफसी द्वारा डिस्कॉमों को करीब 22,500 करोड़ रुपए के संवितरण का निर्मोचन तुरंत कर दिया जाएगा।

   इसके अतिरिक्त, डिस्कॉमों को ऋण भविष्य में सुधारों को कार्यान्वित करने पर दिए जाएंगे, ताकि सुधार की शर्तों का पालन किया जा सके जैसे राज्य सरकार द्वारा देय राशियों एवं सब्सिडी का परिसमापन, स्मार्ट मीटरों की संस्थापना, परिचालनगत एवं वित्तीय दक्षता में सुधार आदि।

2) यह ऋण 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के साथ दीर्घावधि ट्रांजिशनल ऋण के माध्यम से दिया जाएगा। मामला-दर-मामला आधार पर मूलधन अधिस्थगन पर विचार किया जा सकता है। किंतु किसी भी स्थिति में अधिस्थगन 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।

3) ऋण राशि सीपीएसयू; जेनको; ट्रांसको; आईपीपी(यों) एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बकाया देय राशि तक सीमित होगी तथा राज्य सरकार के विभागों, कंपनियों, निकायों, यूएलआईबी(यों), पीआरआई(यों) आदि से डिस्कॉमों के बिजली बिल ड्यू एवं असंवितरित सब्सिडी पर विचार करने के बाद दी जाएगी।

4) इस संबंध में डिस्कॉमों के प्राधिकरण के आधार पर भुगतान सीधे सीपीएसयू जेनको/ आरई जेनको / आईपीपी(यों) / सीपीएसयू ट्रांसको को निर्मोचित किया जाएगा।

5) सामान्य व्यवसाय ऋण प्रचालनों के अनुसरण में, ब्याज दर पीएफसी की निधियों की लागत और यथा निर्णीत मार्जिन पर वसूल की जाएगी।

6) ऋण राज्य सरकार की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी से प्रतिभूत होगा इसमें ब्याज के साथ ऋण राशि और ऋण के लिए कोई अन्य प्रभार शामिल है।

पीएफसी के व्यवसाय पर क्रेडिट पैकेज का प्रभाव प्रभाव

पीएफसी का मानना है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पीएफसी के व्यवसाय पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा:

1) पीएफसी पिछले वर्षों के समान स्तरों पर ही अपनी ऋण परिसंपत्ति वृद्धि को बनाए रखने की उम्मीद कर रहा है। तदनुसार, वृद्धि स्तर को बनाए रखने के लिए, पीएफसी वित्तीय वर्ष 20-21 के दौरान पिछले वर्ष के संवितरण स्तरों को पार करने की उम्मीद रखता है।

   ऋण पैकेज के अंतर्गत पीएफसी द्वारा कुल 45,000 करोड़ रुपए की राशि संवितरित किया जाना अपेक्षित है। इसमें से लगभग 22,500 करोड़ रुपए का संवितरण निकट भविष्य में किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, कोविड़-19 परिस्थिति को देखते हुए, यह परिकल्पना की गई है कि निर्माण गतिविधि और नई परियोजनाओं की स्थापना में सामान्य मंदी होगी। इसके परिणामस्वरूप, संभावना है कि इसका प्रभाव पीएफसी की नई संस्वीकृतियों और संवितरण पर पड़ सकता है। इसलिए, हमें लगता है कि वित्तीय वर्ष 20-21 के लिए योजनाबद्ध संवितरणों के भीतर पीएफसी आवश्यक संवितरणों को समायोजित करने में सक्षम होगा। साथ ही, कोविड़-19 परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऋण देने के नए अवसर सीमित होंगे, यह ऋण पैकेज पीएफसी के लिए अपनी ऋण परिसंपत्ति वृद्धि को बनाए रखने के लिए एक अच्छा व्यावसायिक अवसर है।

2) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, पीएफसी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 90,000 करोड़ रुपए की निधि जुटाने की योजना बनाई है। इसके अलावा, सरकार हमेशा अपने जुटाव संबंधी प्रचालनों के लिए पीएफसी की सहायता करती रही है। उदाहरण के लिए, पीएफसी को सरकार से एनएसएसएफ (NSSF) और डेट ईटीएफ (Debt ETF) के अंतर्गत आबंटन प्राप्त हुआ है, पीएफसी को 54ईसी

बॉण्ड आदि जुटाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, सरकार का एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के नाते, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस योजना के लिए भी पीएफसी को यथापेक्षित सहायता करेगी।

उपर्युक्त को देखते हुए, हमें लगता है कि निधि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएफसी अच्छी तरह से तैयार है।

3) पैकेज के अंतर्गत दिए गए सभी ऋण राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित होंगे। यह पीएफसी के सीआरएआर (CRAR) को बनाए रखने और बढ़ावा देने में मदद करेगा क्योंकि सरकार समर्थित गारंटी के परिणामस्वरूप यह सभी वृद्धिशील ऋण 20% के कम जोखिम वाले भार को आकर्षित करेगा।

इस प्रकार, यह ऋण पैकेज न केवल विद्युत क्षेत्र के पुनरुद्धार में सक्षम होगा, बल्कि पीएफसी के व्यवसाय विकास के लिए एक अवसर भी होगा।

***